संख्या- 38/2016/1311/38-4-16-17(बजट)/2015

प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 2016**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से प्राप्त ऋण की धनराशि पर मूलधन के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 के लिए अनुदान संख्या-13 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1105/सम्प्रेक्षा/लो0ग्रा0आ0यो0/2016-17 दिनांक 22 सितम्बर,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त पत्र दिनांक 22.09.2016 में वर्णित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-35/2016/1161/38-4-16-17(बजट)/2015 दिनांक 16.09.2016 में दी गयी स्वीकृति को एतद्द्वारा निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत हडको ऋण के मूलधन हेतु प्राविधानित धनराशि में से ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-75/ग्रा0आ0परि0-199(भाग-2), दिनांक 02 सितम्बर,2016 (छाया प्रति संलग्न) में उल्लिखित विवरण के अनुसार लोहिया ग्रामीण आवास योजना के वित्त पोषण हेतु हडको से प्राप्त ऋण के सापेक्ष मूलधन **रू0-26,79,00,000.00** (रूपये छब्बीस करोड़ उन्यासी लाख मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक 20-02-2013 में निहित प्राविधानों के कार्यान्वयन हेतु हडको से ली गयी धनराशि के सापेक्ष ऋण के भुगतान में व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास,उ0 प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात् ही किया जायेगा ।

(4) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से व्यय कर लिया जायेगा ।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) देय मूलधन के आगणन की शुद्धता की, धनराशि के भुगतान के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-08-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु हडकों से लिये गये ऋण मूलधन का भुगतान-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

श्रीश चन्द्र वर्मा,

विशेष सचिव ।

संख्या-38/2016/1311(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
7- ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, सी-6/270, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, पिकप भवन, लखनऊ।
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
10- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

पी0 एन0 त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।